न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती टीना डाबी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 23 / 2021(मैन्यूअल)(ऑनलाईन 2021 / 28)

अपीलांट	बनाम	**रेस्पोडेंट**
श्री प्रताप पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सांगाणा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ

उपस्थित

1. श्री मोहम्मद अली, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. पैरोकार राज (तहसीलदार जैसलमेर) रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय **दिनांक 30.11.2022**

अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के द्वारा मुकदमा संख्या 31 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2019 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांगाणा तहसील फतेहगढ के हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार फतेहगढ को ग्राम सांगाणा के राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 215 रकबा 2.8234 हैक्टेयर किस्म बंजड़ में कब्जा व तारबंदी कर अवैध काश्त अपीलांट के द्वारा किये जाने के आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर कानूनी कार्यवाही का निवेदन रेस्पोडेन्ट को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा प्रथम पेशी दिनांक 31.07.2019 को जुर्माना आरोपित कर अतिक्रमित की गयी सरकारी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने व जुर्माना वसूली एवं तारबंदी के जब्त कर नीलाम किये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 31.07.2019 पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी भारी भूल की गयी है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अपीलांट का कब्जा कायम कृषि भूमि को खातेदारी में दर्ज नहीं होने पर न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ में वाद लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि सरासर गलत,गैरकानूनी व नैसर्गिक न्याय सिद्वांतों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट को सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को गवाह सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि सरासर गलत व गैरकानूनी व नैसर्गिक न्याय सिद्वांतों के विपरित होने

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.07.2019 निरस्त कर न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर नियमानुसार कार्यवाही का अनुतोष चाहा गया । पैरोकार राज के द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है । प्रकरण में पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। इस मामले में अपीलांट का मुख्य तर्क यही है कि उसे प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत सुनवाई, पक्ष रखने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किंया गया है। इस संबंध में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 के तहत उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अपीलांट को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 31/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 को यथावत रखा जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर जैसलमेर (राज.)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर